International Journal of Applied Research 2016; 2(12): 828-830

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(12): 828-830
www.allresearchjournal.com
Received: 10-10-2016
Accepted: 19-11-2016

गायत्री कुमारी
शोधार्थी, शिक्षा संकाय
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
गायत्री कुमारी
शोधार्थी, शिक्षा संकाय
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

निर्योग्यता का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

गायत्री कुमारी

सारांश
निर्योग्यता एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने मात्र से हमारे जेहन में एक ऐसा बालक या व्यक्ति आ जाता है जो असहाय हो या दूसरे पर निर्भर हो। चाहे वह शारीरिक निर्भरता हो या मानसिक, दोनों ही स्थिति में बच्चा अपना समस्त कार्य कर पाने में पूर्णतः सक्षम नहीं होता है। प्रस्तुत लेख में हम ऐसे ही बालको पर चर्चा करेगें जो किसी न किसी प्रकार कि निर्योग्यता से ग्रसित है, चाहे वह आंशिक हो या पूर्ण। इस निर्योग्यता का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव तथा किस प्रकार इससे उनका जीवन और विकास प्रभावित होता है मुख्य रूप से हमारा विचार बिन्दू होगा। साथ ही हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे की कैसे यह समाज और देश के विकास की राह में बाधक है। वर्तमान में हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएँ और कार्यक्रम चला रही है क्या यह दिव्यांगों की मानसिकता को बदल पा रहा है इसकी सार्थकता पर भी हम विचार करेंगे। उपरोक्त लेख निर्योग्यता की समस्या पर आम जन की दृष्टिकोण की भी चर्चा करते हुए इसमें बदलाव लाने की जरूरत पर ध्यान आकृष्ट करने का एक छोटा सा प्रयास है।

प्रस्तावना
निर्योग्यता एक व्यापक शब्द है। यह शब्द किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक और बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को व्यक्त करता है। प्राचीनकाल से विकलांगता, अपंगता, अशक्तता, निशक्तता आदि शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया जाता रहा है। अब दिव्यांगता शब्द का भी प्रयोग हमारे भारत देश में होने लगा है, कि किसी को ईश्वर ने ही किसी कौशल से वंचित रखा तब उसको ऐसे नाम से न पुकारा जाए जो हमेशा उसकी कमी की ओर ही उसका ध्यान आकृष्ट करे यह ठीक नही है। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी कमियाँ दिव्य हैं। अतः दिव्यांग कहा जाना हीं इनके लिए सम्मान सूचक शब्द होगा।

निर्योग्यता के प्रकार – निर्योग्यता विभिन्न प्रकारों की होती है
1. शारीरिक निर्योग्यता (Physical disability)
2. मानसिक निर्योग्यता (Mental disability)
3. बौद्धिक असमर्थता (Intellectual impairment)
4. भावनात्मक असंतुलन (Emotional disability)
5. विकासात्मक निर्योग्यता (Developmental disability)
6. दृष्टिहीनता और दृष्टिक्षीणता (Blindness and Vision impairment)
7. कायेन्द्रिक असमर्थता (Omatosensory impairment)
8. संतुलन निर्योग्यता (Balance disorder)
9. घ्राण एवं रससंवेदी निर्योग्यता (Olfactory and gustatory impairment)
10. अदृश्य निर्योग्यता (Invisible disability)
11. सीखने संबंधी निर्योग्यता (Learning disability)

1. **शारीरिक निर्योग्यता –** ऐसे बालक जिनमें शरीर रचना और विकास की दृष्टि से कमियाँ पायी जाती है। इनके शारीरिक अंग अपना कार्य करने में अक्षम होते हैं या कमजोर होते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक प्रायः अपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं।

शारीरिक विकलांगता दो प्रकार की हो सकती है।
(i) जन्मजात – जो बालक गर्भावस्था में या जन्म के समय किसी बाह्य कारण यथा चोट लगने या किसी बिमारी से हो जाती है।

(ii) अर्जित विकलांगता – अर्थात व्यक्ति जन्म के समय तो ठीक–ठाक था परंतु जीवन में कभी दुर्घटना या चोट लगने आदि से शरीर के अंग काम करने में अक्षम हो गये, शारीरिक विकलांगता का मुख्य प्रभाव शरीर के चलने–फिरने या गतिशीलता पर देखा जा सकता है। चलने–फिरने की क्षमता में कमी एक गम्भीर और जीवन जीने के तरीके को बदलने वाली हो सकती है। शारीरिक विकलांगता, जन्मजात, आनुवांशिक, चोट लगने, बीमारी आदि कई कारणों से हो सकती है। इनमें से जन्मजात वाली अशक्तता जीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है जबकि दुर्घटना में टुटे अंग उचित इलाज से धीरे–धीरे ठीक भी हो सकते हैं। इनमें भी कई बार मस्तिष्क की चोट से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ गम्भीर रूप से प्रभावित हो जाती है। जैसे–दिमागी ज्वर (मेनिन्जाइटिस, मिर्गी, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसन रोग, अल्जाइमर आदि) कई बार गठिया, लकवा, मधुमेह, हृदयाघात आदि से भी शारीरिक क्षमता प्रभावित हो सकता है।

2. मानिसक निर्योग्यता (Mental disorder) – मानसिक रोग की दशा में बालक की मनोदशा ठीक नही रहती व्यक्ति अपने मनोभाव पर नियंत्रण नही रख पाता है। मानसिक विकलांगता ऐसी अवस्था को कहते हैं जिसमें बालक की बौद्धिक क्षमता सामान्य इंसान से कम होती है। उसकी बुद्धि लब्धि (I.Q.) 70 से नीचे होती है। मानसिक विकलांगता प्रायः जन्मजात होती है। इंसान शरीर से तो बड़ा होता जाता है परन्तु उसका व्यवहार बच्चों जैसो रह जाता है। ये अपना काम स्वंय नही कर पाते तथा आसानी से पढ़ाई–लिखाई भी नही कर सकते हैं।
मानसिक निर्योग्यता सामान्य, मध्यम, गम्भीर तथा अति गम्भीर हो सकती है। सामान्य निर्योग्यता वाले का प्फ 52 से 70, मध्यम निर्योग्यता वालों का I.Q. 35 से 51, गंभीर मानसिक विकलांगता में I.Q. 20 से 35 तथा अति गंभीर निर्योग्यता वालों का I.Q. 20 से भी नीचे होता है। गंभीर और अति गंभीर मानसिक विकलांगता में बालकों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये अपना प्रतिदिन का काम (शौच वगैरह) पर भी नियंत्रण नही रख पाते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है अति गंभीर निर्योग्यता वाले बालकों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है।

3. बौद्धिक असमर्थता – बौद्धिक असमर्थता मानसिक विकास से प्रभावित होता है। यह एक सामान्यीकृत मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफी कम होती है। ऐसे बालकों में समायोजन की कमी देखी जाती है। इनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में काफी धीमी गति से होता है। देर से चलना, बोलना, सीखना आदि शुरू करते हैं। अपनी उम्र के अन्य बालकों की तरह सामान्य कार्य भी कुशलता से नही कर पाते। देर से सीखते है तथा पढ़ाई में पिछड़े होते हैं।

4. भावनात्मक असंतुलन – यह भी मानसिक विकार से संबंधित होता है। सही मानसिक विकास न हो पाने की स्थिति में भावनात्मक स्थितरता में कमी देखने को मिलती है। यह जन्मजात, गंभीर बिमारी या चोट लगने के कारण से हो सकता है।

5. विकासात्मक निर्योग्यता – विकासात्मक निर्योग्यता विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताओं का वह समूह है जो शारीरिक, भाषा संबंधी, सीखने और व्यवहार संबंधी विकास से संबंधित होता है। यह स्थिति विकास की अवस्था के दौरान शुरू होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इसके कारण ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक मंदन, सीखने की अक्षमता आदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

6. दृष्टिहीनता और दृष्टिक्षीणता – यह शारीरिक विकलांगता से संबंधित निर्योग्यता है जो जन्मजात या विकास की अवस्था में कई कारणों से हो जाता है। दृष्टिहीनता अनुवांशिक तौर पर भी होता है। कई बालकों में पोषण की कमी या बीमारी के कारण दृष्टिक्षीणता की स्थिति आ जाती है और बालक का संपूर्ण जीवन इससे प्रभावित हो जाता है।

7. कायेन्द्रिक असमर्थता – कायेन्द्रिक असमर्थता एक प्रकार का तंत्रिका संबंधित विकार है जिसमें व्यक्ति दैहिक लक्षणों की ओर ज्यादा ध्यान देते है। ऐसे लोगों को लगता है कि गंभीर बीमारी के शिकार हो गये। इसका शिकार अतिसंवेदनशीनल लोग होते हैं। सामन्य संवेदना को भी गंभीर बीमारी का संकेत मानने के कारण ये चिन्ता या अवसाद का शिकार हो जाते है। सामान्यतः किसी विकलांगता का शिकार होने पर ये गंभीर विकलांगता का अनुभव करते हैं, जिससे इनका अन्य सभी विकास प्रभावित होता है।

8. संतुलन निर्योग्यता – कुछ बालाकों में संतुलन संबंधी निर्योग्यता भी पायी जाती है। जैसे हड्डियों का अनुपर्युक्त विकास, विरूपता, चक्कर खाना, सिर घूमना आदि, ऐसे बालको को संतुलन बनाने में दिक्कत होती है। ये सीधे खड़ा नही हो पाते तथा गतिशीलता में भी कठिनाई का सामना करते हैं। जैसे कुब्जता, पक्षाघात का प्रभाव आदि।

9. अदृश्य निर्योग्यता – कई बार बालकों में कुछ इस प्रकार की निर्योग्यता होती है जो स्पष्ट रूप से दिखती नही है, परन्तु बालक की कार्य क्षमता और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अदृश्य निर्योग्यता कहलाती है। इसमें बालक में निर्योग्यता तो होती है परन्तु स्पष्ट नही हो पाता कि किस प्रकार की निर्योग्यता है।

10. सीखने संबंधी निर्योग्यता – इसे सीखने की योग्यता में कमी के रूप में जाना जा सकता है। इसे वाक्, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता के रूप जाना जा सकता है। इस निर्योग्यता के शिकार बालक पढ़ने लिखने में पिछड़े होते हैं। यह संभवतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न होता है।

विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताओं का दिव्यांग के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव

विकलांगता किसी भी बालक के लिए अभिशाप है। उसका समस्त जीवन इस अक्षमता से प्रभावित होता है। एक तो ईश्वरीय त्रासदी के कारण उनका जीवन सामान्य लोगों की तरह नही होता दूसरा उन्हें बचपन से हीं सामाजिक उपेक्षा और दया का पात्र बना दिया जाता है। जिसका परिणाम होता है कि दिव्यांग जन इसे अपना नियति मानकर चुपचाप इस अपमान को झेलते रहते हैं। जब एक बालक जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाई जाती है परन्तु बचपन से ही जैसे ही उनमें विकलांगता की पहचान हो जाती है। माँ–बाप उसे और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। शोध से स्पष्ट है कि विश्व में विकलांगों की समस्याओं भले हीं अलग–अलग हो परन्तु उनकी एक मूल समस्या है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें समाज से अलग करके देखा जाता है।
विकलांगों को सभी सुविधाओं यथा–शिक्षा, रोजगार, यातायात, आदि की प्राप्ति हेतु कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिस कारण ये शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। इन सबका प्रभाव इनकी मानसिकता पर भी पड़ता है। अगर कोई दिव्यांग शारीरिक रूप से अशक्त है तो इसका अर्थ यह नही कि वह अन्य क्षमताओं में भी पिछड़ा है। इस बात के कई सारे प्रमाण

हमें मिल जाते है कि विकलांगता के बावजूद भी दिव्यांगजनों ने अपनी दमदार पहचान दर्ज की है। आवश्यकता है कि इन्हें परिवार समाज तथा सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाये। दिव्यांग भी सामान्य जन की तरह हीं किसी भी राष्ट्र की धरोहर होते हैं। अतः देश के विकास हेतु आवश्यक है कि इनको भी उचित सम्मान और अवसर मिले जिससे इनका मानिसक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। ये भी राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में भागीदार बन सके। इस दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी है। प्रत्येक वर्ष 03 दिसम्बर को विश्वभर में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है जिसका मूल ध्येय अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक बनाकर एवं उनके साथ–साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी व सहयोग को प्रोत्साहित करके उन्हें भी विकास की मूल धारा में शामिल किया जा सके। वर्तमान में विश्व में विकलांगों की जनसंख्या लगभग 1 अरब है। जिन्हें विकास की मूलधारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग की जनसंख्या 2.68 करोड़ थी जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है। 1996 में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम पारित किया गया जिसका मूल उद्देश्य विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों का निर्धारण करना हीं था। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांगों के प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ना था। इसमें तृतीय और चतुर्थवर्गीय पदों की नियुक्ति में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नियुक्ति में भी आरक्षण और बढ़ाने की बात कही गयी। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी। 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को विकलांगता का लाभ देने की बात कही गई। विशेष शिक्षा अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई। साथ ही कई अन्य जैसे बौना, एसिड अटैक पीड़ित को भी इसमें शामिल किया गया। इन सबों के लिए विशेष सुविधा और आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर डाला गया। इनके लिए मुलभूत सुविधाओं के साथ–साथ फंड की व्यवस्था करने पर भी जोर डाला गया है। 2016 अधिनियम की जो बाते लागू नही हो सकी उसके क्रियान्वयन पर भी जोर डाला गया।

हमारे देश भारत में विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया गया। ताकि उन्हें सम्मान की अनुभूति कराई जा सके परन्तु महज सम्मान दे देने भर से इनकी समस्या समाप्त नही हो सकती। विभिन्न सरकारी प्रावधानाओं के बावजूद इनकी समस्याएँ समाप्त नही हो गई है। सरकारी प्रयास नगरीय क्षेत्र में तो कुछ हद तक सुविधाएँ प्रदान कर पा रही है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जागरूकता का अभाव है। सर्वे बताते है कि अधिकतर सार्वजनिक जगहों पर उनके लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, पुलिस स्टेशन जैसी मुख्य जगहों पर भी शौचालय और व्हील चेयर नही है। छोटे शहर में तो दूर दिल्ली, मुम्बई जैसे शहर महानगरों में भी लगभग वही स्थिति है। दिव्यांगों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा की बात तो जोर–शोर से की जाती है, परन्तु सामान्य विद्यालय तो क्या विशिष्ट विद्यालयों में भी सुविधा की कमी बरकरार है। हाल के वर्षों में विकलांगों के प्रति समाज की सोच में बदलाव जरूर आया है परन्तु आज भी उनके प्रति तिरस्कार व दयाभाव बरकरार है। महज सरकारी प्रावधान बना देने से और कोशिश मात्र से परिवर्तन नही होगा। इसके लिए जनजागरण की आवश्यकता है। सकारात्मक परिणाम और दीर्घकालीन उपायों पर जोर देते हुए सानू नायर कहते है कि विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तभी वह बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

निष्कर्ष

विकलांगता महज अभिशाप नहीं क्योंकि यह तो दैवी इच्छा है कि ईश्वर किसे क्या दे या किसे वंचित रखे। ऐसे में समाज या परिवार द्वारा किया गया भेदभाव उनके विकास में बाधक हीं होगा। आवश्यकता है कि निर्योग्य व्यक्तियों को सरकारी व सामाजिक सहयोग प्राप्त हो जिससे वे अपनी बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ सके। उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया जाये जिससे वे अपनी कमियों को भुला कर अपनी अन्य शक्तियों का विकास करे। विकलांगों को शिक्षा से जोड़ना अतिआवश्यक है। खासकर मूक–बधिर, दृष्टिहीन जो सामान्य शिक्षा के द्वारा लाभान्वित नहीं हो पाते उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जाये ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। किशोर गोहिल का मानना है कि निशक्तों को अवसर प्रदान करना या उनपर खर्च करना घाटे का सौदा नही बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

संदर्भ

1. शर्मा, डॉ0 आर. ए., 2009, विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, आर. लाल. बुक. डिपो, मेरठ।
2. पांडेय, के. पी., 2011, शिक्षण अधिगम की टेक्नोलॉजी
3. समावेशी शिक्षा, गुरूशरण दास त्यागी एवं डॉ0 सविता सक्सेना।
4. शर्मा, डॉ0 सविता, समावेशी विद्यालय का निर्माण।